

दिनांक 28 फरवरी 2023 को आयोजित राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 27 वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के तहत राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की **27वीं बैठक** दिनांक **28 फरवरी 2023** को एनसीवीईटी के अध्यक्ष डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-1** में दी गई है।

2. बैठक में कार्यसूची मदों के संदर्भ में समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा आगामी पैरा में दिया गया है।

कार्यसूची मद 01: दिनांक 31 जनवरी 2023 को आयोजित एनएसक्यूसी की 26 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

3. समिति ने दिनांक 31 जनवरी, 2023 को आयोजित एनएसक्यूसी की 26 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची मद 02: एनएसक्यूसी की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

4. समिति को एनएसक्यूसी की 25 वीं और 26 वीं बैठकों के कार्यवृत्त से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया गया। समिति ने की गई कार्रवाई को देखते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए:

4.1 प्रदायी निकायों द्वारा अर्हताओं को शामिल करने संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन/परिवर्तन को पूरा किया जाएगा और मार्च, 2023 में निर्धारित एनएसक्यूसी के समक्ष लाया जाएगा।

4.2 एनसीओ कोड के साथ अर्हताओं की मैपिंग पर समिति का गठन। समिति ने सुझाव दिया कि एनसीओ कोड के साथ अर्हताओं की मैपिंग पर समिति के गठन पर संयोजन आदेश के विचारार्थ विषयों में सूचीबद्ध कार्यवाही को पूरा किया जाए और रिपोर्ट को मार्च 2023 के अंत तक सार्वजनिक परामर्श और फीडबैक के लिए रखा जाए, और न्यूनतम समयसीमा के भीतर एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही समिति ने यह भी निर्णय दिया कि एनएसक्यूएफ संबंध और अनुमोदित अर्हताओं की एनसीओ मैपिंग से संबंधित भविष्य की सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न संगठनों के उन्हीं सदस्यों को शामिल कर एक स्थायी समिति का गठन करेंगे।

कार्यसूची मद 03: समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए एनएसक्यूएफ संबद्ध और अनुमोदित एसटीटी प्रमाण पत्र पर एनसीवीईटी लोगो का उपयोग

5. समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार की समग्र शिक्षा योजना के तहत कई प्रदायी निकाय, मुख्य रूप से क्षेत्र कौशल परिषद् सीबीएसई/राज्य स्कूल बोर्डों के सहयोग से एनएसक्यूएफ संबद्ध और अनुमोदित चयनित अल्पकालिक अर्हताओं/ कार्य भूमिकाओं के प्रशिक्षण और मूल्यांकन को लागू कर रहे हैं।

6. इसके अतिरिक्त, एनसीवीईटी को कुछ मान्यता प्राप्त एबी से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम में नामांकित स्कूली छात्रों के प्रमाणन के लिए एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। निदेशक, एनसीवीईटी ने इस संबंध में निम्नलिखित को स्पष्ट किया:

6.1 सीबीएसई मान्यता प्राप्त एनसीवीईटी प्रदायी निकायों (दोहरी श्रेणी) में से एक है और वे अपनी व्यवस्था के अंतर्गत एनएसक्यूएफ संबद्ध और अनुमोदित अर्हता का मूल्यांकन कर सकते हैं और इस विषय पर उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार बच्चों को एनसीवीईटी अनुमोदित प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।

6.2 सीबीएसई बोर्ड इन अर्हताओं को संबंधित डोमेन वाले एबी / एसएससी के माध्यम से भी लागू कर सकता है और पैनल में शामिल एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से उनका मूल्यांकन कर सकता है। ऐसी सभी अर्हताओं के लिए सीबीएसई, एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और इसमें दोनों संगठनों अर्थात् सीबीएसई और संबंधित डोमेन वाले प्रदायी निकाय/ एसएससी के लोगो हो सकते हैं।

6.3 वैसे राज्य बोर्ड जो वर्तमान में एनसीवीईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त एबी नहीं हैं और एनएसक्यूएफ संबद्ध और अनुमोदित अर्हताएं संचालित करना चाहते हैं, वे भी ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि वे इस विषय पर निर्धारित की गई नीति के अनुसार एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त एबी और एए के माध्यम से प्रशिक्षण और मूल्यांकन कराएँ।

6.4 तथापि, यदि वैसे राज्य बोर्ड, जो एनसीवीईटी के मान्यता प्राप्त एबी नहीं हैं, और एनएसक्यूएफ संबद्ध और अनुमोदित अर्हताओं के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकन स्वयं संचालित करना चाहते हैं, तो वे छात्रों/शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एनसीवीईटी अनुमोदित प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन यथा उपयुक्त अपने स्वयं के राज्य स्तरीय प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

7. समिति को यह भी सूचित किया गया कि एनसीवीईटी ने प्रदायी निकाय के दिशा-निर्देशों के

निरंतरता मानदंड के अंतर्गत धारा 4.3 के पैरा 10 के माध्यम से लोगो और प्रमाणन के उपयोग के संबंध में नीति पहले ही प्रकाशित कर दी है। पॉलिसी का सार नीचे दिया गया है:

7.1 लोगो का उपयोग: मान्यता प्राप्त एबी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि एनसीवीईटी लोगो का उपयोग एनसीवीईटी के दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

7.2 प्रमाणन:

- 7.2.1 मान्यता प्राप्त एबी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप हैं।
- 7.2.2 मान्यता प्राप्त एबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनसीवीईटी द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
- 7.2.3 प्रमाण पत्र सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से उपलब्ध होना चाहिए।
- 7.2.4 “नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी” में डिजिटल प्रमाणपत्रों का भंडारण।

समिति ने इसका संज्ञान लिया और इस पर सहमति प्रदान की।

कार्यसूची मद 04: मान्यता प्राप्त प्रदायी निकायों के द्वारा एनएसक्यूएफ संबद्ध और अनुमोदित अर्हताओं के लिए एनसीवीईटी अनुमोदित प्रमाणपत्र टेम्पलेट का उपयोग

8. समिति को बताया गया कि एनएसक्यूसी के द्वारा 12 प्रमाणपत्र टेम्पलेट्स को अनुमोदित किया गया था, जो विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत शिक्षार्थियों/उम्मीदवारों को एनएसक्यूएफ संबद्ध और अनुमोदित अर्हताओं में प्रशिक्षण पूरा करने पर एक केंद्रीकृत विनियमित डिजिटल पोर्टल और डीजीटी, जो भी लागू हो, के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

9. एसआईपी/डीजीटी के माध्यम से एबी द्वारा शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, ओपन-सोर्स फाइलों और व्याख्यात्मक नोट्स के साथ प्रमाणपत्र टेम्पलेट एनएसडीसी/डीजीटी के साथ साझा किए जा रहे हैं। तथापि, वर्तमान में एसआईपी पर एसएससी के अलावा अन्य सभी एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त एबी को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, एसआईपी के माध्यम से एसएससी सहित किसी भी एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त एबी द्वारा संचालित शुल्क-आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। निदेशक एनआईईएलईटी ने उल्लेख किया कि वर्तमान में एनआईईएलईटी के पास अपने स्वयं के प्रशिक्षुओं के लिए डिजिटल प्रमाणन की क्षमता है। उन्होंने उल्लेख किया कि अन्य मान्यता प्राप्त प्रदायी निकायों के साथ सुविधा का विस्तार करने की संभावना मौजूद है, जिसके लिए उन्हें एसआईपी के माध्यम से एसएससी के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वर्तमान में अपनाई जा रही प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता होगी।

10. एनएसडीसी के प्रतिनिधि को मौजूदा एसआईपी में ऐसे प्रावधान बनाए जाने की वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं थी। समिति ने इस पर ध्यान दिया और शिक्षार्थियों को विशेष रूप से शुल्क-आधारित कार्यक्रमों के तहत इन प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए एनआईईएलईटी के माध्यम से केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल तैयार करने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया, ताकि डिजिटल प्रमाणन के वर्तमान जारी संकट को कम किया जा सके और साथ ही ऐसे सभी प्रदायी निकाय (मानक/दोहरे) के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले एबी को शामिल किया जा सके।

11. हालांकि, पहले विकल्प के रूप में इस मामले को इस स्किल इंडिया डिजिटल (एसडीआई) प्लेटफॉर्म में ऐसे प्रावधान बनाने के लिए न केवल परिषद् के मान्यता प्राप्त प्रदायी निकायों द्वारा बल्कि वैसे राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड आदि जैसे निकायों जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संबद्ध और अनुमोदित अर्हता प्रदान कर रहे हैं, द्वारा भी शुल्क आधारित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एनएसडीसी के साथ उठाया जा सकता है।

कार्यसूची मद 05: सीटीएस और संबंधित सीआईटी की तीन (03) अर्हताओं के लिए प्रवेश मानदंड में संशोधन

12. समिति को अवगत कराया गया कि एनएसक्यूसी की 22वीं बैठक में डीजीटी की निम्नलिखित तीन (3) सीटीएस अर्हताओं को स्वीकृति दी गई थी:

- 12.1. अग्नि सुरक्षा प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन (2022/एसईसी/डीजीटी/06314),
- 12.2. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (2022/एचएलटी/डीजीटी/06272),
- 12.3. फायरमैन (2022/एसईसी/डीजीटी/06312).

13. इन तीन अर्हताओं के लिए प्रवेश आवश्यकताओं में न्यूनतम शारीरिक मानकों को विभिन्न सरकारी संगठनों की भर्ती नियमावली (आरआर) और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया था और यह केवल पुरुषों के लिए लागू था। लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की भर्ती के प्रावधान को भी शामिल किया गया है और तदनुसार उपर्युक्त तीन अर्हताओं के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक विशेषताओं को आरआर के साथ-साथ कई राज्यों के आरआर में भी प्रकाशित किया गया है। इसलिए, डीजीटी ने राज्य और आरआर के अनुरूप संबंधित सीटीएस अर्हता के लिए निम्नलिखित शारीरिक मानकों को शामिल करने का भी प्रस्ताव किया है:

पुरुषों के लिए	महिलाओं के लिए
<p>क) ऊँचाई: - न्यूनतम 165 सेमी (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में 5 सेमी की छूट के प्रावधान के साथ)।</p> <p>ख) सीना: - न्यूनतम 81 सेमी बिना फुलाए हुए और फुला कर 86 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी फुला कर पूरी तरह से फुलाया हुआ)</p> <p>ग) वजन: - न्यूनतम 50 किलो ग्राम</p>	<p>क) ऊँचाई: - न्यूनतम 157 सेमी (गढ़वाली, असमिया, गोरखा और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के मामले में 2.5 सेमी की छूट के प्रावधान के साथ)।</p> <p>ख) वजन: - न्यूनतम 46 किलो ग्राम</p>

14. समिति ने डीजीटी की उपर्युक्त तीन (3) सीटीएस अर्हताओं के लिए संशोधित शारीरिक मानकों के साथ प्रवेश मानदंडों को अनुमोदित किया।

कार्यसूची मद सं. 06: पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कार्यान्वयन के लिए 210 नोशनल घंटों के साथ 85 (85) एनएसक्यूएफ संबद्ध अर्हताओं (अल्पकालिक प्रशिक्षण-एसटीटी) का अनुकूलन

15. समिति को सूचित किया गया कि एमएसडीई के अनुरोध पर पीएमकेवीवाई 3.0/4.0 योजना के तहत चलाए जाने वाले मौजूदा एनएसक्यूएफ संबद्ध और अनुमोदित अर्हताओं की शॉर्टलिस्टिंग के संबंध में एक बैठक बुलाई गई थी। प्रदायी निकायों द्वारा, एनएसक्यूएफ के चार स्तरों तक की अर्हताएं, जिनकी उद्योग में अधिक मांग है और जिनमें नियोजन की अच्छी संभावनाएं हैं, का चयन किया गया था और उनके नोशनल घंटों को अन्य आवश्यक परिवर्तनों के साथ उपयुक्त रूप से संशोधित कर 210 घंटे किया गया था।

16. मौजूदा एनएसक्यूएफ संबद्ध और अनुमोदित अर्हताओं के अनुकूलन के लिए निम्नलिखित मापदंड तय किए गए हैं:

16.1 अर्हता को तर्कसंगत बनाकर 210 नोशनल घंटे (लगभग एक महीने) कर दिया गया है। प्रत्येक अर्हता के लिए व्यावसायिक मैप संबंधित प्रदायी निकाय द्वारा अद्यतन किए जाएंगे।

16.2 210 घंटे के नोशनल घंटों में मान्यता प्राप्त एबी द्वारा प्रस्तावित 60/90/120 घंटे के रोजगार योग्य कौशल (ईएस) शामिल हैं।

16.3 अर्हताओं के नामकरण को उनके अधिगम परिणाम और प्राप्त की जा रही दक्षताओं

तथा उद्योग की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया गया है और एनओएस को उस कार्य भूमिका के लिए अपेक्षित अर्हता परिणाम के अनुसार चयनित किया गया है।

16.4 एबी/ एसएससी के द्वारा योजना के तहत नामांकित कुल उम्मीदवारों में से 90 प्रतिशत उम्मीदवारों का नियोजन सुनिश्चित किया जाना है।

16.5 चूंकि इन सभी अनुकूलित पाठ्यक्रमों के नोशनल घंटों की संख्या को तर्कसंगत बना कर 210 घंटे किया गया है, इसलिए इन अनुकूलित अर्हताओं के प्रवेश स्तर के मानदंड को भी एनएसक्यूएफ के एक स्तर तक बढ़ा दिया गया है।

17. इन चयनित और अनुकूलित अर्हताओं की वैधता **छह महीने** की अवधि अर्थात् 15 फरवरी 2023 से 31 अगस्त 2023 (एनएसक्यूसी के संचालन की संभावित तारीख) तक के लिए है। संबंधित एबी को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि 31 अगस्त 2023 के बाद कोई अर्हता सक्रिय न रखी जाए।

समिति ने इन अर्हताओं को अनुमोदित किया और प्रशिक्षण/कौशल विकास के लिए इन्हें लागू करने का निर्देश दिया।

कार्यसूची मद 07: एनसीवीईटी के द्वारा आरएएससीआई को एक प्रदायी निकाय (मानक) के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में

18. समिति को अवगत कराया गया कि रिटेलर्स एसोसिएशन की स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (आरएएससीआई) को दिनांक 07/02/23 को एनसीवीईटी के एक प्रदायी निकाय के रूप में मान्यता दी गई है। आरएएससीआई द्वारा मूल रूप से एनएसक्यूएफ के साथ विकसित और संबद्ध 20 अर्हताओं के संबंध में प्रदाता अधिकार, जो पहले आरएएससीआई की अनुपस्थिति में अन्य प्रदायी निकायों को दिए गए थे, को भी एनसीवीईटी के पिछले आदेश संख्या 36002/9/2022/ एनसीवीईटी को प्रतिस्थापित करते हुए एवं पूर्वोक्त विषय पर एनसीवीईटी द्वारा जारी किए गए दिनांक 01/06/2022 के समसंख्यक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 16/02/23 के आदेश संख्या 21004/01/2022/एनसीवीईटी के द्वारा आरएएससीआई को पुनः प्रदान किया गया है। तथापि, प्रदायी निकाय के रूप में आरएएससीआई की अनुपस्थिति में रिटेल स्किल इकोसिस्टम में प्रशिक्षण और प्रमाणन को निर्बाध रूप से जारी रखने को सुविधाजनक बनाने के लिए आरएएससीआई अर्हताओं को शामिल करने के अधिकार जो पांच (05) एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त प्रदायी निकायों (एबी) को कार्यालय आदेश संख्या 21004/01/2022/एनसीवीईटी दिनांक 01/06/22 के माध्यम से प्रदान किए गए थे, यथोचित परिवर्तनों के साथ जारी रहेंगे।

समिति ने इसका संज्ञान लिया और इसकी पुष्टि की। इसके अलावा, आरएएससीआई को नई/भावी अर्हताओं की एक सूची प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई थी जिसे उन्होंने अपनी उप-समिति की समीक्षा के दौरान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया था।

कार्यसूची मद 08: एनएसक्यूएफ संबद्धता के लिए अर्हता/एनओएस प्रस्तुत करना

19. समिति को एनएसक्यूएफ संबद्धता और अनुमोदन किए जाने तथा समिति के समक्ष रखे जाने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक प्राप्त हुए 51 (51) अर्हताओं (10 नई और 41 संशोधित) अर्हताओं और दो (2) नए एनओएस का विवरण दिया गया। सभी 51 अर्हताओं और दो एनओएस पर समिति का निर्णय अनुवर्ती पैरा में दिया गया है।

प्रदायी निकाय

20. ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद् (एएसडीसी): एनएसक्यूसी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे गए भविष्य के कौशल से संबंधित ऑटोमोटिव क्षेत्र की सात (07) नई अर्हताओं को अनुमोदित किया गया था। इसका ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

21. भारतीय रत्न एवं आभूषण कौशल परिषद् (जीजेएससीआई) : समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई दो (02) संशोधित अर्हताओं को अनुमोदित किया गया। इसका ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

22. लॉजिस्टिक्स क्षेत्र कौशल परिषद् (एलएससी): तेरह (13) अर्हताएं (01 नई और 12 संशोधित) समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई थीं। समिति के द्वारा 12 अर्हताओं (01 नई और 11 संशोधित) को अनुमोदित किया गया। शेष एक संशोधित अर्हता "वाणिज्यिक वाहन चालक-एलएमओ" का ऑक्सीजन घटक और इसकी सुरक्षा पर एक नया एनओएस जोड़े जाने की शर्त पर सशर्त अनुमोदन किया गया था। इसका ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

23. प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद् (एमईपीएससी): छह (04 संशोधित और 2 नई) अर्हताएं अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं। समिति के द्वारा दो अर्हताओं के संशोधित नामकरण के साथ पांच अर्हताओं को निम्नानुसार अनुमोदित किया गया:

क्र.सं.	प्रस्तावित नाम	अनुमोदित नाम
1	बहुकार्यात्मक प्रशासनिक एगजीक्यूटिव	बहुकार्यात्मक कार्यालय एगजीक्यूटिव
2	भर्ती एगजीक्यूटिव - एचआर	भर्ती एगजीक्यूटिव

‘प्रामाणिक लोक लेखाकार’ नामक एक अर्हता को नामकरण की पुन जांच किए जाने की शर्त पर सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसका ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

24. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद् : कुल 23 अर्हताएं (22 संशोधित और 01 नई) एनएसक्यूसी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी गई थीं। एनएसक्यूसी ने सभी 23 अर्हताओं को अनुमोदित किया। 21 संशोधित अर्हताएं जिनमें प्रशिक्षण की संख्या ‘शून्य’ या 100 से कम थी, उनका समिति ने अन्य क्षेत्रों के लिए 06 महीने की सामान्य नीति की तुलना में पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 01 वर्ष की वैधता के लिए अनुमोदन किया। इसका ब्यौरा

अनुबंध-॥ में दिया गया है।

25. **ईएसएससीआई:** समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए दो (02) नए स्टैंडअलोन एनओएस को अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद 08: अध्यक्ष की अनुमति से अतिरिक्त कार्यसूची बिन्दु

एनएसक्यूसी के अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि सभी प्रदायी निकायों के सीईओ एनएसक्यूसी के संचालन की तारीख महीने के अंतिम गुरुवार को तय करने या लिखित पत्राचार के माध्यम से पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अब भी एनएसक्यूसी में भाग नहीं ले रहे हैं। इस बात को फिर से दोहराया गया कि किसी भी मान्यता प्राप्त एबी के द्वारा एनएसक्यूएफ संबद्धता और अनुमोदन के लिए अर्हता को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उस एबी के सीईओ का उपस्थित होना अनिवार्य है।

ऐसे अन्य एबी, जिनकी अर्हता एनएसक्यूएफ संबद्धता और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं की जा रही है, उन्हें भी बैठक में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि गुणवत्तापूर्ण अर्हता को अनुमोदन प्रदान करने के लिए चर्चा में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तथापि, किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में सीईओ को उपस्थित होने में अपनी असमर्थता को एनसीवीईटी को लिखित पत्राचार के माध्यम से कारणों के साथ सूचित करना चाहिए कि और अपनी अनुपस्थिति के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) से उपस्थिति से छूट की मांग करनी चाहिए।

26. निदेशक, नीति ने समिति को अवगत कराया कि पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद् (टीएचएससी) ने अपनी दो (02) अभिलेखित (आर्काइव्ड) अर्हताओं अर्थात् **'क्लीनर रोडसाइड भोजनालयों' और 'फूड सर्वर रोडसाइड भोजनालयों'** को सक्रिय करने का अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें विभिन्न हितधारकों से प्रशिक्षण की संख्या प्राप्त हुई है। इससे पहले इन अर्हताओं को टीएचएससी के अनुरोध पर अभिलेखित किया गया था।

27. समिति ने इसका संज्ञान लिया और एक वर्ष के लिए दो अर्हताओं को सक्रिय करने की स्वीकृति दे दी, जिसकी, आगे के विस्तार के लिए बाद में समीक्षा की जाएगी।

28. एआईसीटीई की डॉ. नीतू भगत ने समिति को अवगत कराया कि एनएसक्यूएफ संबद्धता के लिए अर्हता के प्रवेश मानदंड को एनसीआरएफ और संशोधित एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार सुव्यवस्थित किया गया है, किन्तु समिति द्वारा बी.टेक/ बी.ई पूरा करने वाले उम्मीदवारों की अर्हता के प्रवेश मानदंड को संशोधित करने के लिए एक सामान्य आदेश पर विचार किया जा सकता है जिससे कि बी.टेक/ बी.ई तृतीय वर्ष के उम्मीदवारों को शामिल किया जा सके ताकि अर्हता की आउटरीच को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।

29. समिति ने सुझाव की सराहना की और एनसीवीईटी को निर्देश दिया कि वह ऐसी सभी प्रकार की अर्हताओं (केवल स्तर 6 और उससे नीचे की अर्हताओं के लिए) में प्रावधानों की अनुमति देने के लिए एक सामान्य आदेश जारी करे जो राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अनुरूप भी होगा।

30. समिति को अवगत कराया गया कि मान्यता प्राप्त एबी और एए के सभी सीईओ/प्रमुखों की अप्रैल 2023 के दूसरे सप्ताह में एक बैठक आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य एबी और एए के बीच सहयोग बढ़ाना और एक प्रभावी नेटवर्क विकसित करना है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

.....

Annexure- I

List of Participants

National Skills Qualifications Committee (NSQC) Members


1. Dr Nirmaljeet Singh Kalsi, Chairperson, NCVET
2. Dr Vinita Aggarwal, Executive Member, NCVET
3. Dr Neena Pahuja, Executive Member, NCVET
4. Dr Biswajit Saha, Director, CBSE
5. Mr Rajesh, Asst Dir Training, Mission Director, GOA
6. Dr. Neetu Bhagat, AICTE
7. Ms Deepti Saxena, NSDC

NCVET Officials

1. Col. Santosh Kumar, Director, NCVET
2. Lt. Col Gunjan Chowdhary, Director, NCVET
3. Mr Sushil Agarwal, Director, NCVET
4. Mr Punendu Kant, Director, NCVET
5. Mr. Harish Chander, DD, NCVET
6. Mr. Milan Sahu, DD, NCVET
7. Mr. Shourya Sangam, Consultant, NCVET
8. Ms. Sarika Dixit, Consultant, NCVET
9. Mr Amit Sharma, Consultant, NCVET
10. Mr Lav Bhardwaj, Consultant, NCVET
11. Ms. Ojasvi Goyal, Consultant, NCVET
12. Mr Ajit Jaiswal, Consultant, NCVET
13. Mr. Amresh Kumar, Consultant, NCVET
14. Mr. Abhinav Mishra, Consultant, NCVET
15. Mr. Amir Waheed, Consultant, NCVET
16. Mr. Balaji Baskaran, Consultant, NCVET
17. Ms. Srishti Jha, Consultant, NCVET
18. Ms. Ratna Priya Kanchan, Consultant, NCVET
19. Mr. Parkishit Yadav, Consultant, NCVET
20. Ms. Sheetal Bhandari, Consultant, NCVET

Representatives from sectoral stakeholders

1. Ms. Jagriti Singh DGM BECIL
2. Ms. Chetna Singh Rathor, NIELIT
3. Mr. RAJNEESH KUMAR ASTHANA - Addl Dir., NIELIT Hqrs
4. Mr. Rajeev Garg, CEO, GJSCI
5. Mr. Arindam Lahiri - CEO, ASDC
6. Mr. Brajesh Kumar CEO IASC
7. Col Anand Kumar Singh, CEO, SSDF
8. Col Anil Pokhriyal, CEO MEPSC
9. Dr. P. Saxena CEO Green Jobs
10. Dr. Kalpana Johari, C-DAC
11. Ms. Kirti Seth, CEO, NASSCOM
12. Mr. Mohasin Tahasildar- CEO, ICPA
13. Mr. Rachit Bhatnagar, CEO, AASSC



14. Saif.M - CEO (RCPSDC)
15. Ms. Shalini Singh COO-CGSC
16. Mr. Ashish Anand - SCPwD
17. Mr. Aakash - Construction SSC
18. Mr. Akhil - CGSSC
19. Mr. Apoorv-SCMS
20. Mr. Bhuvnesh Kr. Verma (SSDF)
21. Mr. Devraj - ESSCI
22. Mr. Dharam - BECIL
23. Dr Swapna Mishra - Textile SSC
24. Dr. Vijay Yadav - Textile SSC
25. Ms. Garima Jhamb - ASDC
26. Ms. Gunjan Aneja - WMPSC
27. Mr. Hakim Mamka - PCSC
28. Mr. KL NARAYANAN - RVC
29. Ms. Meenu - ASDC
30. Ms. Monalisa Baruah - RCPSDC
31. Mr. Partha - CUTM
32. Mr. Pinaki Paul - WBSCTVESD
33. Ms. Pooja Arora - MESC
34. Mr. Praveen Sirohi - TSSC
35. Mr. Pravesh Dudani - Medhavi Skills University
36. Ms. Priya LSC
37. Ms. Priyanka Pandey, DWSSC
38. Mr. Rajesh Deswal - HARTRON
39. Ms. Rakhee - MEPSC
40. Ms. Reena - LSC
41. Mr. Sameer N - RASCI
42. Mr. Santosh Saha - MEPSC
43. Mr. Sarvesh - SCGJ
44. Mr. Saurabh - CSDCI
45. Ms. Shilpa Adlakha - Rubber SSC
46. Mr. Shivi Chaudhary - MEPSC
47. Mr. Shubham Agrawal - FFSC
48. Mr. Snehasis - NASSCOM
49. Mr. Subramanian T - 3TTR (2 STC)
50. Mr. Sudhir Kumar Jain-TSSC
51. Mr. Vigneshraja - Textile SSC




Annexure- II

List of Qualifications placed for alignment and approved in the 27th NSQC Meeting.

Sl. No.	Qualification Name	New/ Revised	NSQF Level	Approval Status
ASDC (AUTOMOTIVE SKILLS DEVELOPMENT COUNCIL)				
1	E-Rickshaw Driver	New	2.5	Approved
2	Advanced Driver Assistance System (ADAS) Engineer	New	5.5	Approved
3	Automotive Cyber Security Engineer	New	5.5	Approved
4	Automotive Cyber Security Specialist	New	6	Approved
5	Automotive Electric Vehicle BSS (Battery Swapping Station) Planning Engineer	New	5.5	Approved
6	Automotive Battery Management System (BMS) Design Engineer	New	5.5	Approved
7	Automotive Flex Fuel Engine Designer	New	5.5	Approved
Gem & Jewellery Skill Council of India				
1	Jewellery Retail Sales Associate	Revised	3	Approved
2	Jewellery Polisher and Cleaner	Revised	3	Approved
Logistic Skill Council				
1	Supply Chain Supervisor - Agri Commodities Electives- a. Trading on the e-Nam portal b. Negotiating with buyers c. Planning outbound transportation strategy	New	5	Approved
2	Courier Executive- Operations	Revised	4	Approved
3	Courier Supervisor- Operations	Revised	5	Approved
4	Courier - Manager- Operations	Revised	6	Approved
5	Warehouse Associate Electives: a. Handle perishable goods in warehouse. b. Handle FMCG goods in warehouse. c. Handle automotive goods in warehouse. d. Handle bulk cargo in warehouse Handle e-com operations in warehouse".	Revised	3	Approved
6	Warehouse Executive Electives a. Forecasting and Trend Analysis b. Decision science-based resource allocation and streamline operations at a warehouse	Revised	4	Approved
7	Warehouse Supervisor Electives: a. Supervise bonded warehouse operations. b. Supervise cold storage warehouse operations. c. Supervise FMCG & E-Com warehouse operations. d. Supervise automotive warehouse operations.	Revised	5	Approved



	e. Supervise bulk cargo warehouse operations.			
8	Material Handling Equipment (MHE) Operator and Technician Electives: a. Operate Battery Operated Pallet Truck (BOPT) b. Operate Reach truck. c. Operate Forklift d. Operate Order picker	Revised	4	Approved
9	Refrigeration Equipment Maintenance Specialist	Revised	5	Approved
10	Courier Associate- Operations Electives: a. Handle perishable shipment. b. Handle high value shipment. c. Handle furniture and households	Revised	3	Approved
11	E Commerce Team Lead	Revised	5	Approved
12	E Commerce Manager	Revised	6	Approved
13	Commercial Vehicle Driver - LMO	Revised	4	Conditionally Approved
Management SSC				
1	Certified Public Accountant	New	6	Conditionally Approved
2	Project Management Associate	New	4	Approved
3	Multifunctional Office Executive	Revised	4.5	Approved
4	Training Coordinator (VET and Skills)	Revised	4	Approved
5	HR Executive -Payroll and Employee Data Management	Revised	4.5	Approved
6	Recruitment Executive	Revised	4.5	Approved
PWD SSC				
1	Agri-residue Aggregator (Divyangjan)- LD	New	3	Approved
2	Field Technician Computing and Peripherals (Divyangjan)- SHI	Revised	4	Approved for 1 year
3	Casting operator (Metal & Handicraft) (Divyangjan)- LD	Revised	4	Approved for 1 year
4	Casting Operator- Ceramics- (Divyangjan)- LD	Revised	4	Approved
5	Helper- Finishing (Footwear) (Divyangjan) - LD	Revised	2	Approved for 1 year
6	Helper - Finishing Operations (Finished Leather) (Divyangjan) - LD	Revised	2	Approved for 1 year
7	Helper - Finishing Operations (Finished Leather) (Divyangjan) - SHI	Revised	2	Approved for 1 year
8	Pattern Cutter (Footwear- (Divyangjan) LD	Revised	4	Approved for 1 year
9	Pattern Cutter (Footwear- (Divyangjan) SHI	Revised	4	Approved for 1 year
10	Sample Maker (Footwear) (Divyangjan) - LD	Revised	4	Approved for 1 year
11	Sample Maker (Footwear) (Divyangjan) - SHI	Revised	4	Approved for 1 year



12	Shaving Operator (Finished Leather)(Divyangjan)-SHI	Revised	4	Approved for 1 year
13	Skiving Operator (Divyangjan) - SHI	Revised	4	Approved for 1 year
14	Character Designer (Divyangjan) – LD	Revised	4	Approved for 1 year
15	Character Designer (Divyangjan) – SHI	Revised	4	Approved for 1 year
16	Make-up Artist (Divyangjan) - LD	Revised	4	Approved for 1 year
17	Make-up Artist (Divyangjan) - SHI	Revised	4	Approved for 1 year
18	Video Editor (Divyangjan) - LD	Revised	4	Approved for 1 year
19	Hairdresser (Divyangjan) - LD	Revised	4	Approved for 1 year
20	Hairdresser (Divyangjan) - SHI	Revised	4	Approved for 1 year
21	Roto Artist (Divyangjan) - LD	Revised	4	Approved for 1 year
22	Roto Artist (Divyangjan) - SHI	Revised	4	Approved for 1 year
23	Hank Dyer (Divyangjan) - SHI	Revised	3	Approved for 1 year
NOS				
Electronics Sector Skills Council of India				
1	Foundation Program on Nano Science & Technology	New	6	Approved
2	Advanced Program on Nano Science and Technology	New	6.5	Approved

.....

The End

